

पत्रांक:-भवन/स्था0-1-विविध-912/2020(अंश).....

बिहार सरकार,
भवन निर्माण विभाग।

प्रेषक,

ई0 राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

सेवा में,

प्राध्यापक,
सिंचाई, जल संसाधन अभियंत्रण-सह-
कोर्स निदेशक,वाल्मी, पटना।

विषय:-

राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों के कार्यपालक अभियंताओं के लिए दिनांक 25-27 सितम्बर 2023 (कुल तीन कार्य दिवस) तक वाल्मी, पटना में प्रस्तावित ओरिएंटेशन कोर्स प्रशिक्षण (On-Campus) हेतु मनोनयन के संबंध में।

पटना, दिनांक:-...../2023

प्रसंग:-
महाशय,

आपका पत्रांक:- 1174 दिनांक:- 31.07.2023

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिनांक:- 25-27 सितम्बर 2023 (कुल तीन कार्य दिवस) तक वाल्मी, पटना में आयोजित होने वाले भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंताओं के लिए ओरिएंटेशन कोर्स प्रशिक्षण (On-Campus) प्रशिक्षण में निम्नलिखित अभियंताओं को नामित किया जाता है:-

क्र0 सं0	नाम/पदनाम	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नं0	ई-मेल
1	2	3	4	
1	श्रीमती पुष्पांजली, कार्यपालक अभियंता,	गुण नियंत्रण प्रमंडल	7070091860	pushpanjaliprasadsingh@gmail.com
2	श्री मलय कुमार सिन्हा, कार्यपालक अभियंता,	पटना पश्चिम भवन प्रमंडल, दानापुर	9473043539	ee.patnawest.bcd@gmail.com
3	श्री नीतेश कुमार वर्णवाल, कार्यपालक अभियंता	भवन प्रमंडल, मुंगेर	8340175162	ee.munger.bcd@gmail.com
4.	श्री कमलेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता	भवन प्रमंडल, शिवहर	8340492044	ee.sheohar.bcd@gmail.com

सभी संबंधित अभियंताओं को निदेशित किया जाता है कि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 25 सितम्बर 2023 को 10.00 बजे पूर्वाह्न से प्रारंभ होना है। प्रशिक्षण में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। इसपर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(ई0 राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-.....

पटना, दिनांक:-.....2023

प्रतिलिपि:- निदेशक(अनुश्रवण), भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

ह0/-

(ई0 राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

कृ0प0उ0

ज्ञापांक:-.....6665 (1)

पटना, दिनांक:-...18/8/2023

प्रतिलिपि:-आईटीआई मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(ई० राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव।

18/8/23